पीठ:- एस.एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधिपति और डी.एस. तेवतिया, न्यायाधिपति

उमराव सिंह और अन्य,- अपीलार्थी

बनाम

मेहर चंद और अन्य,- प्रत्यर्थीगण

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 991 of 1980

1 सितंबर, 1981

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226- पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (IV of 1953) (जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है) - धारा 13-ख और 13-ग- एक वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाने के लिए कानून द्वारा निर्धारित समय- ऐसे उपचार को पीड़ित पक्ष द्वारा समय-बाधित होने दिया गया- अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका- क्या उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए- चुनाव याचिका- क्या पूरे चुनाव पर सवाल उठा सकती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कोई पक्ष दिए गए क़ानून द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर वैकल्पिक उपचार का लाभ नहीं उठाता है, तो दूसरा पक्ष एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त करता है और उच्च न्यायालय उस पक्ष को उस अधिकार से वंचित कर देगा यदि पीड़ित पक्ष को वैकल्पिक उपचार की मांग करने की परिसीमा समाप्त होने के पश्चात् उसकी असाधारण रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने की अनुमति दी जाती है क्योंकि इस तरह के पक्ष के पास अपनी शिकायत के निवारण के लिए क़ानून की अवधि से अधिक अवधि होगी। इससे भी अधिक, उम्मीदवार के चुनाव से संबंधित चुनौती के संबंध में, स्व-अस्वीकार की सीमा से लगे न्यायिक प्रतिबंध को उच्च न्यायालय द्वारा असाधारण रिट क्षेत्राधिकरिता के प्रयोग में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226

के तहत याचिका उन मामलों में स्वीकार नहीं की जानी चाहिए जहां उपलब्ध वैकल्पिक उपचार समय से वर्जित हो गया है।

(जिम्मन 10)

अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम,1952, जैसा कि हरियाणा में संशोधित और लागू किया गया था, की धारा 13-ख के तहत एक चुनाव याचिका, जिसमें किसी विशेष पंचायत के लिए एक समय में चुने गए सभी पंचों के चुनाव पर सवाल उठाया गया है, ऐसी याचिका पोषणीय है। इस प्रकार, एक चुनाव याचिका में पूरे चुनाव पर सवाल उठा सकते हैं।

(जिम्मन 10)

उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खण्ड X के अन्तर्गत माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गोयल द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 4560 of 1980 में पारित निर्णय दिनांक 24 सितंबर, 1980 के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील।

उपस्थितः-

अधिवक्ता श्री गोपी चंद के साथ अधिवक्ता श्री मणि राम, अपीलार्थी की ओर से।

अधिवक्ता श्री जी.सी. गर्ग, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की ओर से।

निर्णय

डी.एस. तेवतिया, न्यायाधिपति

(1) पंचों, प्रत्यर्थी संख्या 3 से 7 के चुनाव को चुनौती देती हुए रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ सफलता मिली बावजूद इसके कि रिट याचिका की पोषणीयता पर एक प्रारंभिक आपत्ति थी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम,1952 (जैसा कि हरियाणा

राज्य द्वारा अपनाया गया है, हरियाणा क़ानूनों का अनुकूलन आदेश, 1968 के माध्यम से जिसे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 88 के साथ पढ़ा जाता है) जिसे इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के तहत निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष चुनाव याचिका के माध्यम से वैकल्पिक उपाय के उपचार को नहीं अपनाया गया। इस लेटर्स पेटेंट अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हमला हमने केवल इस पहलू तक ही सीमित रखा है।

(2) प्रतिद्वंदी अभिकथनों को ठोस बनाने और उन्हें हल करने से पहले, कुछ प्रासंगिक तथ्य, जो कि अपीलार्थियों की ओर से दी गई दलीलों से सीधे संबंधित हैं, शुरू में ही ध्यान देने योग्य है।

(3) हरियाणा सरकार ने अधिनियम की धारा 5 के तहत 15 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना के माध्यम से नांगल सभा का गठन किया। उस अधिसूचना में, ग्राम सभा की कार्यकारी समिति जिसे ग्राम पंचायत के रूप में भी जाना जाता है की सीमा को, जिसमें पंच और सरपंच शामिल थे, सामान्य कोटे से 5-6 और आरक्षित कोटे से अनुसूचित जाति के सदस्यों में से एक को चुने जाने के लिए निर्धारित किया गया था। अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में महिला-पंच के चुनाव की परिकल्पना की गई है और जहां कोई भी निर्वाचित नहीं होता है, तो इसमें एक महिला-पंच के सह-विकल्प का प्रावधान है।

(4) पंच पद के उम्मीदवारों से, निर्वाचन अधिकारी, रिट याचिका के प्रत्यर्थी संख्या 1 ने कुल केवल ग्यारह नामांकन-पत्र प्राप्त किए। हालाँकि, उनमें से छह ने वापस ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप पाँच उम्मीदवार मैदान में बने रहे। उस समय के नियमों के तहत, दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र थे-एक सरपंच के लिए और दूसरा पंचों के लिए एक बहु-सदस्यीय एकल निर्वाचन क्षेत्र। ग्राम सभा के प्रत्येक निर्वाचक को दो वोट डालने थे-एक 'सरपंच' के लिए और दूसरा अपनी पसंद के पंच के लिए। सामान्य श्रेणी के चार उम्मीदवारों को और अनुसूचित जाति आरक्षित श्रेणी के एक उम्मीदवार को जिसे संबंधित श्रेणी में अधिकतम मत प्राप्त होंगे, बहु-सदस्यीय एकल निर्वाचन क्षेत्र से पंच के रूप में निर्वाचित घोषित किया जाना था। इस स्थिति में, चूंकि एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार सहित केवल पांच

उम्मीदवार मैदान में बने रहे और पांच सीटों के लिए केवल पांच पंच चुने जाने थे, इसलिए कोई चुनाव नहीं होना चाहिए था। हालांकि, चुनाव 8 जून, 1978 को आयोजित किया गया था और निर्वाचन अधिकारी ने पहले चार, यानी प्रत्यर्थी संख्या 3, 4, 5 और 7 को पंच के रूप में निर्वाचित घोषित किया, और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में चौथा स्थान हासिल करने वाली प्रभाती को 15 अप्रैल, 1977 की अधिसूचना के गलत दृष्टिकोण कि अनुसूचित जाति के पंच सहित केवल चार पंच चुने जाने थे और पाँचवा पंच-एक महिला को चुना जाना था, के तहत असफल घोषित किया गया था।

5) दो याचिकाकर्ता, जो उक्त ग्राम सभा के मतदाता थे, ने 4 नवंबर, 1978 को वर्तमान रिट याचिका दायर की थी- प्रारंभ में सरपंच, प्रत्यर्थी संख्या 2, और पंच, 3, 4, 5 और 7 और चुनी गई महिला-पंच, प्रत्यर्थी संख्या 8 के चुनाव को चुनौती देते हुए, परन्तु इस याचिका को बाद में 7 मई, 1980 को संशोधित किया गया और प्रभाती का चुनाव, जिसे निर्वाचन अधिकारी ने असफल घोषित कर दिया था, परन्तु बाद में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 53197, दिनांकित 13 सितंबर, 1975, अनुलग्नक पी-3 के माध्यम से ग्राम पंचायत, नांगल के सदस्य के रूप में निर्वाचित घोषित कर दिया गया को भी चुनौती दी गई थी।

(6) बहस के स्तर पर, सरपंच, याचिका के प्रत्यर्थी संख्या 2, के विरुद्ध मुद्दा उठाया नहीं गया।

(7) विद्वत एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार कर दियाः-

"इस तर्क के लिए विद्वत अधिवक्ता द्वारा प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य[1] और तरसेम लाल बनाम बूटा राम आदि[2] के मामलों पर भरोसा किया गया था। हालाँकि, मैं विद्वान

[1] 1973 P.L.J. 623
[2] 1973 Cur. L.J. 594

अधिवक्ता के विचार को स्वीकार करने में असमर्थ हूं क्योंकि समय बीतने के साथ, नियमित निर्वाचन याचिका का उपचार अप्रभावी हो गया है। चुनाव वर्ष 1978 में हुए थे और तब से ढाई साल बीत चुके हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष का होने के कारण, यदि याचिकाकर्ताओं को सामान्य उपाय की ओर भेज दिया जाता है, तो पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने तक उन्हें कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, इस बात पर भी संदेह है कि क्या चुनावी याचिका के माध्यम से समग्र रूप से चुनाव को चुनौती दी जा सकती है। इन परिस्थितियों में, मुझे नहीं लगता कि कानून के तहत सामान्य उपचार की उपलब्धता के कारण याचिका को खारिज करना उचित है।"

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी असाधारण रिट अधिकारिता का प्रयोग करते हुए किसी याचिका पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति पर एक प्रतिबंध के रूप में वैकल्पिक उपचार की अवधारणा, या तो जब वह 'आत्म-नियंत्रण' से अपनी शक्ति प्राप्त करता है या इसे 'न्यायिक' संयम कहता है, जिसे उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने ऊपर अधिरोपित किया था, जो अन्यथा पूर्ण था और संविधान के 42वें संशोधन के अधिनियमन से ऐसी कोई बाध्य या संक्षिप्त अवधि के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थी, जब अनुच्छेद 226 में संशोधन किया गया था, तो वैकल्पिक उपचार के अस्तित्व को उसमें उल्लिखित कुछ श्रेणियों की रिट याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक बाधा के रूप में मान्यता दी गई थी, न्यायिक राय सर्वसम्मत रही है कि वैकल्पिक उपचार के अस्तित्व ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग पर एक पूर्ण बाधा का गठन नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने हमेशा अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का विवेकाधिकार बनाए रखा यदि वह वैकल्पिक उपचार को महंगा, अपर्याप्त या अप्रभावी पाता है। जहां वैकल्पिक उपचार प्रभावी और पर्याप्त पाया गया है, वहां न्यायालयों ने याचिकाकर्ता को वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाने के लिए निर्विवाद रूप से भेज दिया है।

(8) विद्वत एकल न्यायाधीश की टिप्पणियों के अवलोकन से यह पता चलेगा कि उनके द्वारा प्रारंभिक आपत्ति को दो तथ्यों के कारण अस्वीकार किया गया था (1) कि वर्ष 1978 में चुनाव होने से समय के बीतने के कारण नियमित चुनाव याचिका का वैकल्पिक उपाय अप्रभावी हो गया था और 2.5 वर्ष का समय बीत चुका था जब याचिका अंतिम निर्णय के लिए आई, और (2) कि विद्वत एकल न्यायाधीश को संदेह था कि क्या चुनाव को चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि उनके अनुसार, पूरा चुनाव शुरू से ही शून्य था।

(9) विचार के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या किसी वैकल्पिक उपचार की प्रभावशीलता या पर्याप्तता को 'वैकल्पिक उपचार' की प्रकृति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए या उस समय के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जब पक्ष अपनी शिकायत का निवारण करने का निर्णय लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश को लगता है कि वैकल्पिक उपाय अपने आप में अप्रभावी नहीं था, अपितु इसलिए कि इसका लाभ नहीं उठाया जा सकता था- इसका लाभ उठाने का समय पहले ही समाप्त हो चुका था जब पीड़ित पक्ष ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया था; सम्मान के साथ, यह सही दृष्टिकोण नहीं है। यदि किसी वैकल्पिक उपचार की प्रभावशीलता का दृष्टिकोण ऐसा होगा तो ऐसा कोई वैकल्पिक उपाय नहीं होगा जिसे कोई पक्षकार जो इसका लाभ उठाना नहीं चाहता है, केवल प्रतीक्षा करके और परिसीमा को समाप्त कर अप्रभावी न ठहरा सके।

10) इसके विपरीत, प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य(उपर्युक्त), तरसेम लाल बनाम बुटाराम आदि(उपर्युक्त) और मैसर्स एवॉन स्केल्स कंपनी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[3] में व्यक्त न्यायिक राय की सहमति यह है कि यदि कोई पक्ष दिए गए क़ानून द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर वैकल्पिक उपचार का लाभ नहीं उठाता है, तो दूसरा पक्ष एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त करता है और उच्च न्यायालय उस पक्ष को उस अधिकार से वंचित कर देगा यदि पीड़ित पक्ष को वैकल्पिक उपचार की मांग

[3] 1978 P.L.R. 644

करने की परिसीमा समाप्त होने के पश्चात् उसकी असाधारण रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने की अनुमति दी जाती है क्योंकि इस तरह के पक्ष के पास अपनी शिकायत के निवारण के लिए क़ानून की अवधि से अधिक अवधि होगी। इस दृष्टिकोण को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की मुहर भी मिल गई है, जैसा कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट होगा, जिन्होंने के.के. श्रीवास्तव आदि बनाम भूपेंद्र कुमार जैन और अन्य[4] में पीठ के लिए राय दी थी:-

"यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने इस बात की अनदेखी की है कि नियमों द्वारा निर्धारित परिसीमा की अवधि 15 दिन है और यदि रिट याचिकाओं पर लंबे समय बाद विचार किया जाना है तो यह वैधानिक प्रावधान को बाधित कर देगा....."

उपर्युक्त के अलावा, इस बात पर प्रकाश डालना आवश्यक है कि एक उम्मीदवार के चुनाव से संबंधित चुनौती के संबंध में, न्यायाधिपतिगण की अपेक्षा है कि उच्च न्यायालयों द्वारा अपने असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में प्रदर्शित 'न्यायिक संयम' पूरी तरह से 'आत्म-अस्वीकार' पर आधारित होना चाहिए, जैसा कि के.के. श्रीवास्तव (उपर्युक्त) के मामले में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट होगाः

"यह सुस्थापित कानून है कि संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को एक व्यापक शक्ति प्रदान करता है, लेकिन इस तरह की 'शक्ति' के प्रयोग पर समान रूप से सुस्थापित सीमाएं भी हैं जिनकी और बार-बार इस न्यायालय ने इशारा किया है। उनमें से एक जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, वह यह है कि जहां कोई उपयुक्त या समान रूप से प्रभावशाली वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, वहाँ पर न्यायालय को उपाय करने से बचना चाहिए। यह विशेष रूप से तब होता है जब विवाद चुनाव से संबंधित होता है। और भी अधिक जहां एक वैधानिक निर्धारित उपाय है जो लगभग अनिवार्य शब्दों में पढ़ता है...."

---

[4] A.I.R. 1977 S.C. 1703

विद्वान एकल न्यायाधीश के तर्क के दूसरे पहलू के संबंध में कि उन्हें संदेह है कि क्या चुनाव याचिका के माध्यम से पूरे चुनाव को चुनौती दी जा सकती है, पुनः सम्मान के साथ यह देखा जा सकता है कि वह न्यायिक राय के विपरीत जाते प्रतीत होते हैं, जो के. के. श्रीवास्तव (उपर्युक्त) के मामले में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की निम्नलिखित टिप्पणियों में अभिव्यक्ति पाता है:-

"यह सोचने का कोई आधार नहीं है कि जहां एक 'संपूर्ण चुनाव' को चुनौती दी जाती है, तो रिट क्षेत्राधिकरिता कार्रवाई में आ जाती है।"

हाल ही में दिए गए निर्णय दिल्ली बार काउंसिल और अन्य बनाम सुरजीत सिंह और अन्य[5] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा उपर्युक्त दृष्टिकोण को दोहराया गया है और इस संबंध में पीठ के लिए राय लिखने वाले न्यायमूर्ति एन.एल. उन्तवालिया, की निम्नलिखित टिप्पणियों को लाभ के साथ याद किया जा सकता हैः

"यह विचार कि केवल इसलिए कि पूरे चुनाव को एक रिट याचिका द्वारा चुनौती दी गई है, तो एक वैकल्पिक उपाय होने के बावजूद भी याचिका पोषणीय होगी, यह सही नहीं होगा ख़ास तौर पर संविधान के अनुच्छेद 226 के हालिया संशोधन के बाद। यदि वैकल्पिक उपाय में पूर्ण रूप से चुनाव की चुनौती शामिल है तो केवल उसी उपाय का ही सहारा लिया जाना चाहिए, भले ही इसमें सभी सफल उम्मीदवारों के चुनाव की चुनौती शामिल हो....."

इसके अलावा, यह प्रतीत होता है कि ज़िले सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[6] के मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण विद्वान एकल न्यायाधीश के संज्ञान में नहीं लाया गया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था कि अधिनियम, जैसा कि

[5] A.I.R. 1980 S.C. 1612
[6] A.I.R. 1975 Pb. & Haryana 115

हरियाणा में संशोधित और लागू किया गया था, की धारा 13-ख के तहत एक चुनाव याचिका,, जिसमें किसी विशेष पंचायत के लिए एक समय में चुने गए सभी पंचों के चुनाव पर सवाल उठाया गया था, ऐसी याचिका पोषणीय है। धारा 13-ग के तहत निर्धारित प्राधिकारी के पास ऐसी याचिका पर योग्यता के आधार पर विचार करने और निर्णय लेने की अधिकारिता थी।

(11) श्री गर्ग ने अंत में तर्क दिया कि चूंकि प्रभाती, जिसे राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर, 1978 की अधिसूचना के माध्यम से निर्वाचित घोषित किया गया था, उसके चुनाव को निर्वाचन प्राधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती थी और अपीलकर्ताओं को पंचे के रूप में निर्वाचित घोषित किए जाने के लंबे समय बाद 13 सितंबर, 1978 को ही उसे पंच चुना गया था, इसलिए प्रभाती के चुनाव को रिट अधिकारिता में ही चुनौती दी जानी थी और यदि मतदाता-याचिकाकर्ता, यहां प्रत्यर्थीगण, उनके चुनाव को अपास्त करवाने में सफल रहे हैं जैसा कि उन्होंने किया है,-शेहरा राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[7] के माध्यम से और यदि उच्च न्यायालय को जिल सिंह (उपर्युक्त) के मामले के निर्णय के आधार पर अन्य पंचों, अर्थात् अपीलार्थियों के निर्वाचन को अपास्त करना आवश्यक था, तो मतदाता-याचिकाकर्ता भी वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाए बिना रिट अधिकारिता में अपीलार्थियों के निर्वाचन को न्यायोचित रूप से चुनौती दे सकते थे।

(12) हमें खेद है कि विद्वान अधिवक्ता बहुत अधिक अनुमान लगा रहें हैं जब वह कहते हैं कि (1) उच्च न्यायालय द्वारा 13 सितंबर, 1978 की राज्य सरकार की अधिसूचना को अवैध बताते हुए प्रभाती के चुनाव को रद्द करने के निर्णय में अनिवार्य रूप से अन्य पंचों के चुनाव को भी रद्द करना शामिल होता और (2) प्रभाती के चुनाव को निर्वाचन प्राधिकरण के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

(13) जहां तक पहले का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि प्रभाती ने बहु-सदस्यीय एकल निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों में चौथा स्थान प्राप्त किया था। न तो उस आकस्मिकता में जहां

[7] C.W. 4485 of 1978 decided on 25th April, 1980

निर्वाचन प्राधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा यह पाया जाता कि प्रभाती को निर्वाचन अधिकारी द्वारा गलत तरीके से असफल घोषित किया गया था और न ही अन्य आकस्मिकता में जहां दिनांक 13 सितंबर, 1978 की सरकारी अधिसूचना के आधार पर पंच के रूप में उनके चुनाव को उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अधिसूचना के परिणामस्वरूप दरकिनार कर दिया जाता, अन्य पंचों के चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना था, कम आवश्यक रूप से रद्द किया जाना था। यह एक अलग मामला होता यदि उसके नामांकन-पत्रों को निर्वाचन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया होता और निर्वाचन प्राधिकरण या उच्च न्यायालय को बाद में यह पता चलता कि उसके नामांकन-पत्र गलत तरीके से खारिज कर दिए गए थे, तो इस तथ्य का परिणाम अनिवार्य रूप से अन्य सफ़ल पंचों के चुनाव को रद्द घोषित करना होता- जैसा कि इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने जिल सिंह और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया है , जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों वशिष्ठ नारायण शर्मा बनाम देव चंदर और अन्य[8], और सुरेंद्र नाथ खोसला और अन्य बनाम एस. दलीप सिंह और अन्य[9] का अनुपालन किया गया है।

(14) जहां तक दूसरे का संबंध है, यह इंगित किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 13-ग के प्रावधान, जो निम्नलिखित शब्दों में हैं, स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 13-ण में उल्लिखित आधारों पर किसी व्यक्ति के पंच या सरपंच के रूप में चुनाव को चुनौती देते हैंः

"13-ग:- (1) सभा का कोई भी सदस्य, विहित रीति से विहित प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर-

(क) जहां निर्वाचन 12 अगस्त, 1960 के पश्चात् और 27 सितंबर, 1962 से पूर्व आयोजित किया गया था, पश्चातवर्ती तिथि के तीस दिनों के भीतर या

[8] AIR 1954 S.C. 513
[9] AIR 1957 S.C. 242

(ख) जहां निर्वाचन 27 सितंबर, 1962 के पश्चात् आयोजित किया गया था, तो उसके परिणाम की घोषणा की तारीख के तीस दिनों के भीतर:

धारा 13-ण की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आधारों में से एक या अधिक आधारों पर विहित प्राधिकारी को लिखित रूप में सरपंच या पंच के चुनाव के विरुद्ध चुनाव याचिका प्रस्तुत कर सकता है....."

"धारा 13-ण:- (1) यदि विहित प्राधिकारी की राय है-

(क) कि निर्वाचित व्यक्ति अपने निर्वाचन की तारीख को इस अधिनियम के अधीन निर्वाचित होने के योग्य नहीं था या अयोग्य था, या
(ख) कि निर्वाचित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है; या
(ग) कि कोई नामांकन अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है; या
(घ) कि जहां तक निर्वाचित व्यक्ति का संबंध है, चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है।

(i) किसी भी नामांकन की अनुचित स्वीकृति द्वारा;
(ii) किसी भी मत की अनुचित प्राप्ति, इनकार या अस्वीकृति या किसी भी ऐसे मत की प्राप्ति जो शून्य है; या
(iii) इस अधिनियम के प्रावधानों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी नियम के किसी भी गैर-अनुपालन द्वारा, निर्धारित प्राधिकारी निर्वाचित व्यक्ति के चुनाव को अपास्त कर देगा।"

* * * * *

अधिनियम की धारा 13-ण की उपधारा (1) के खंड (घ) के उपखंड (iii), जैसा कि उपर्युक्त प्रस्तुत किया गया है में स्पष्ट रूप से यह परिकल्पित किया गया है कि यदि निर्वाचन का परिणाम जहां तक निर्वाचित व्यक्ति का संबंध है, इस अधिनियम के उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम

के किसी गैर-अनुपालन से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है तो विहित प्राधिकारी निर्वाचित व्यक्ति के निर्वाचन को अपास्त कर देगा।

(15) अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन के अन्तर्गत, केवल निर्वाचन अधिकारी के रूप में वैध रूप से नियुक्त व्यक्ति ही किसी व्यक्ति को निर्वाचित घोषित कर सकता है (ग्राम पंचायत नियमों, 1960 का नियम 32 देखें)। परन्तु, वास्तव में, परिणाम या तो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा घोषित किया गया था जो निश्चित रूप से निर्वाचन अधिकारी नहीं था या एक ऐसे व्यक्ति द्वारा घोषित किया गया था जो निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करने का तात्पर्य रखता था, हालांकि कानूनी रूप से नियुक्त नहीं किया गया था, तो यह अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट गैर-अनुपालन होगा और इसलिए, ऐसे पंच के चुनाव को निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष आक्षेपित किया जा सकता था।

(16) उपर्युक्त कारणों से, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और विद्वत एकल न्यायाधीश के निर्णय को अपास्त करते हैं और रिट याचिका को खारिज करते हैं। हालांकि, ख़र्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

एस.एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधिपति:- मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण:

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय अपीलार्थी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋषभ अग्रवाल, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

रेवाड, UID No:- HR0675